COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

89

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग–2730–PBR–16

1– हेमकुंवर पति कालूराम जाति माली

2– मोहन पिता कालूराम जाति माली

3– मनोज पिता कालूराम जाति माली

4– राकेश पिता कालूराम जाति माली

5– राजेश पिता कालूराम जाति माली

6– शांतिबाई पति स्व. भेरूलाल माली

धंधा खेती निवासी ग्राम नौगांव तह0 व जिला धार

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

म0प्र0 शासन .....विपक्षी

निगरानी धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

16/8/16

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्तागण का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित राजस्व प्रकरण 03/2008–09/अ–68 के प्रकरण में बिना धारा 38 म0प्र0 भूरासं का पालन किये बेदखली का कार्य करने का भूरासं का अनुविभागीय अधिकारी धार को नही है। यों भी वक्फ से संबंधित आज्ञा आदि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को तत्संबंधी नोटिस व प्रकरण चालू कर तत्संबंधी को निर्देश देने में सक्षम नही है यों भी कालूराम एक अरसे पहले फौत हो गया है ऐसी दशा में उनकी गैर मोजुदगी में कोई आज्ञा न तो हो सकती है न होने का प्रश्न है। ऐसी दशा में दिनांक 31.12.2008 के संबंध में आज्ञा है व उल्लेख है तो विचाराधिकार रहित है ऐसी दशा में कार्यवाही का प्रारंभ सूचना दिनांक 02.08.2016 को अधिकार रहित है विचाराधिकार रहित है। अतः बिना सूचना के अधिकार रहित आज्ञा है यों भी दिवानी कोर्ट में यह तय किया है कि यथाकथित संपत्ति दरगाह अथवा वक्फ से संबंधित नही है व दिवानी कोर्ट ने प्रतिदावा अपास्त किया है। स्थायी तौर पर म0प्र0 शासन कलेक्टर व तहसीलदार आदि को रोका है जिस संबंधी प्रपत्र पेश है। अतः ऐसी दशा में कार्यवाही का प्रारंभ विचाराधिकार रहित है शून्य है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी धार की राजस्व प्रकरण 03/2008–09/अ–68 में पारित आज्ञा दिनांक

02.08.2016 से कार्यवाही का प्रारंभ विचाराधिकार रहित है अतः अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा जो कार्यवाही की है व जो निर्देश दिये है वे विचाराधिकार रहित है उसे अपास्ति बाबद व निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2730–पीबीआर/2016 [रिमांड/अपील] **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–5–2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के सूचना पत्र दिनांक 2–8–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है अतः यह निगरानी प्रीमैच्योर प्रस्तुत किये जाने अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	